

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई की टिप्पणी

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि



26-11-2020

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, मू-अर्जुन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक-03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जनाबंदियों की जाँच प्राप्त की गयी जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-
 मौजा हाथ मोग थाना नं० 161 खाता नं० 60 खेसरा नं०
 रकबा 1.64 एकड. की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड) के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जनाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 59 पर जनाबंदी रैयत 7731

पिता/पति श्री 2214 अशु के नाम से कायम है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जनाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सनपित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जनाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनाना के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लान एवं राज्य का क्षति कारित करना है।
 प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।
 अतएव संबंधित जनाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त मू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जनाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।
 अनिलेख दिनांक 08/12/2020 को रखे।

अदालत एवं सहायक
 अदालत अधिकारी

(Signature)

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
09.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपरिथत। जमाबंदी रैयत ठानका उराँव वगै० के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 022125 वर्ष 2014-15 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा हाकाजांग, थाना नं० 161 के सर्वे खतियान में खाता सं० 60 रकबा 1.64 एकड़ गैरमजुरुआ खास परती कदीम दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii भाग I के पृष्ठ सं० 59 खाता 60 रकबा 1.64 ठानका उराँव वगै० के नाम से दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। पंजी II में वर्ष 2014-15 तक लगान वसूली है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अस्पष्ट एवं अवैध दखल-कब्जा है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा हाकाजांग थाना नं० 161 खाता 60 रकबा 1.64 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत ठानका उराँव वगै० के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा हाकाजांग थाना नं० 161 खाता 60 रकबा 1.64 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p>	